IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थाओं की भूमिका– एक विश्लेषण

सोहनलाल
सह अचार्य राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर

शोध सार

लोकतंत्र का कार्यक्षेत्र, विकास, सरकारी मशीनरी की दक्षता पर निर्भर करता है। प्रजातंत्र में यह वांछनीय है कि प्रजाजन अपनी शिकायतों को एक प्रभावशाली एवं कुशल नैदानिकी व्यवस्था के द्वारा दूर कर सके। जन आकांक्षाओं और प्रशासन के कुर्सी मोह रवैये के कारण दोनों पक्षों में अक्सर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है।

विकासशील राज्यों में भ्रष्टाचार का मुद्दा विकास के समस्त आयामों को हत्तोसाहित करता है। राष्ट्र के विकास में भ्रष्टाचार कोढ है। भ्रष्टाचार के समस्त नैदानिक उपाय कारगर साबित नहीं हो पा रहे है। स्वस्थ एवं कुशल लोकतंत्र निर्माण की कीमत भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन है। भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता के भ्रष्ट आचरण वाले सत्ता की मशीनरी के कार्यकलापों पर निगरानी रखने के लिए स्वीडिश संस्था 'ऑम्बुड्समैन' की तर्ज पर लोकपाल एवं लोकायुक्त की मांग की गई जिसमे आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने वाली संस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। एक मजबूत लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना पर पूरी बहस सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित है। लोक प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं का एहसास होगा जब जनसेवा में सत्यनिष्ठा बनाई रखी जायेगी। स्वाधीन भारत में अन्ना हजारे के आंदोलन एवं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 वह पहला कानून है जिसकी संसद के सदन के अंदर एवं बाहर व्यापक जनचर्चा हुई इसी से जनचेतना निकली की भ्रष्टाचार के दानव का समूल विनाश करने के लिए एक मजबूत लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसी प्रभावी संस्था की महती आवश्यकता है। हालांकि पारित अधिनियम मेंकई ढीले छोर है जिन्हें संबोधित करना समय की मांग है।

कुंजी शब्द : लोकपाल एवं लोकायुक्त, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, शासन, प्रशासन

शोध आलेख

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

किसी के धन के लालची मत बनो।

(लोकपाल संस्थान का मूल सिद्धांत)

आधुनिक युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध चर्चित शब्द 'लोकतंत्र' का उदय छठी शताब्दी पूर्व यूनान से माना जाता है जिसका अर्थ उनकी मूल भाषा के शब्द Demos अर्थात् जनता तथा Kratia अर्थात शासन से है इन्हीं दोनों शब्दों के मेल से Democracy शब्द बना जिसका तात्पर्य जनता के शान से है। यूनान के नगर राज्यों में जनता सभी सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करती थी जो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुकूल ही था। समयान्तराल पर यहाँ प्रत्यक्षा लोकतंत्र का रूप उभरा व जनता स्वयं शासन करने लगी।

मध्यकालीन सामंतवाद के दोर में अमरीकी जनता ने अपने अधिकारों की प्राप्ति व सुरक्षा के लिए शासन के सभी स्तंभों के मध्य पृथक्करण एवं स्वतंत्रता पर बल दिया, जिससे प्रशासन में कुशलता व जनता के अधिकारों की रक्षाहो सके। प्रतिनिधित्व नही ंतो कर नही ंके माध्यम से जनता ने शासन प्रशासन में पूरी दावेदारी की। परिमाणामतः अमेरिका में पारदर्शी व परिपक्व प्रजातंत्र का विकास हुआ।

प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आज की तरह प्रशासन के पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। ऋग्वेद तथा कौटिल्य विचार दर्शन में निर्वाचन पद्धति के सबूत प्राप्त होते हैं। लिच्छवी व यौधेयकी केन्द्रीय परिषद जिन नीतियों का क्रियान्वयन करती थी। उन नियमों का निर्माण सघन चर्चा के बाद ही होता था। बगहुमत से लिए निर्णय को ''भूयिसिक्किम'',वोट को 'छंद' तथा चुनावी देख–रेख वाले अधिकारी को 'शलाकाग्राहक'' कहते थे। वोट की तीन पद्धतियां गूढ़क (गुप्त रूप से), विवृतक (प्रकट रूप से) तथा सकर्णजल्पक (शलाकाग्राहक के कान में चुपके से कहना) प्रचलित थी। इसके अलावा सुव्यवस्थित शासन के संचालन हेतु गुणों एवं योग्यता के आधार पर मंत्रालयों के निर्माण के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। ऐसे मंत्रिमण्डल के उल्लेख अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति व महाभारत से प्राप्त होते है।

मध्यकालीन भारत में लोकतंत्र का कोई जिक्र नहीं मिलता। यह तो राजनीति पर आस्था, सत्ता पर धर्म एवं योग्यता पर वंश के हावी होने का युग था। ब्रिटिशकाल में जनता पर ब्रिंटिश शासन पद्धति का प्रभाव आया जो Regulating Act 1773 से शुरू होते हुए The Government of India Act 1909, The Government of India Act 1919 and The Government of India Act 1935के माध्यम से दायित्वों एवं अधिकारों का स्थानान्तरण भारतीय जनता के नुमाईदों को करना पड़ा है। India Independence Act 1947 के द्वारा संसद को वही विशेषाधिकार प्राप्त हो गए जो ब्रिटिश House of Commons को प्राप्त थे। भारतीय प्रजातंत्र समय के साथ साथ विकसित एवं निखरित होता रहा और आदर्श स्थिति के रूप में आगे बढ़ रहा है।

यद्यपि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का विकास निर्विवाद और निर्विरोध रहा है। इस प्रजातांत्रिक शासन पद्धति की राह में अनेक बाधाओं जैसे राजनैतिक प्रश्रय, भौतिकता, राष्ट्रभक्ति का अभाव, नैतिक मूल्यों का अवसान इत्यादि रहा है। लेकिन इनसे भी अधिक संक्रामक रोग भ्रष्टाचार जिसने लोकतंत्र जैसे चांद पर धब्बे सदृश कार्य किया है और निरंतर जारी है। भ्रष्टाचार का संक्रमण एकदम नहीं फैला है। चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के अनुसार ''जिस प्रकार पानी में तैरती मछली कब दो बूँद पानी पी लेती है, पता ही नहीं चलता है, उसी प्रकार सार्वजनिक धन के साथ कर्मचारी करते है।'' इस संक्रामक रोग की रोकथाम चाणक्य का धर्म था उसने अपने विचार दर्शन में रोकथाम के सख्त उपाय अपनाने के सुझाव दिए थे।

ऋग्वेद में भी भ्रष्टाचार के प्रमाण आसानी से प्राप्त हो जाते है जहां भ्रष्टाचारियों द्वारा अपने परिवार व बच्चों के दुख, उदासी ओर कष्ट का कारण अपने भ्रष्ट आचरण को बताया है। महात्मा बुद्ध ने इस रोग के निदान के लिए आष्टांगिक मार्ग सुझाया है। मध्यकाल में तुर्क व मुगल शासकों के द्वारा रिश्वत का लोभ देकर दुर्गों को जीतने के अनेक उदाहरण है। सुल्तान फिरोजशाह तुगलक स्वयं अपने घुड़सवार को एक टका रिश्वत के रूप में देते थे कि वह इसे सैनिक अधिकारी को देकर अपने घोड़े की अनुशंसा करवा ले। भारत में 18वीं तथा 19वीं सदी में भ्रष्टाचार का फैलाव दिखा। फलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों में भ्रष्टाचार की प्रवृति की रोकथाम के लिए लार्ड कार्नवालिस और विलियम हैस्टिंग्ज ने कंपनी की नुमाईंदों का वेतन बढ़ाया। साथ ही उनके निजी व्यापार पर एवं उपहार स्वीकृति पर रोक लगाने के कड़े उपाय किए। ब्रिटिश शासन के द्वारा औपनेवेशिक शासन प्रशासन को भ्रष्टाचार के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कई उपाय किए गए थे।

स्वस्थ एवं कुशल प्रजातंत्र की कीमत भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। इस संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए स्वाधीन भारत के शासन ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, संथानम समिति, केन्द्रीय सर्तकता आयोग 1964, एन एन बोहरा समिति 1993 आदि अधिनियमों एवं समितियों की अनुशंसा के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। 2011 के ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 15वें स्थान पर था।

भ्रष्टाचारियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वीडिश संस्था 'ऑम्बुड्समैन' के जैसी संस्था लोकपाल एवं लोकायुक्त की मांग उठाई गई। ऐसी संस्था की मांग का कारण स्वीडन में इस संस्था द्वारा स्वस्थ एवं कुशल शासन प्रदान करने में एवं जनता को शोषण से मुक्त रखने की कामयाबी रहा। जिसकी प्रतीती इसके शाब्दिक अर्थ **किसी प्रतिनिधित्व करने वाला** में निहित है। भारत ही नहीं वरन् समस्त विश्व भ्रष्टाचार से संक्रमित है। यदा कदा इसके निवारण के प्रयास भी किएजाते रहे है। भारतीय सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तथा लोकतंत्र का चतुर्थ अंग जन संचार माध्यम, दवाब समूह तथा समय समय पर गठित होने वाले आयोगों के द्वारा इस संक्रामक

रोग की रोकथाम के प्रयास किए जाते रहे, लेकिन इन प्रयासों का परिणाम समुचित न आने का कारण 'ऑम्बुड्समैन' संस्थान की तरह लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थान स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए जो भारत में इस रोग के निदान के लिए रामबाण साबित हुआ। 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा अपने प्रतिवेदन में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी कानूनी संस्था के गठन की अनुशंसा की गई। किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा की गई कार्यवाही अन्यायपूर्ण या मनमर्जी से हो, विद्यमान नियमों के प्रतिकूल हो अथवा उनके उल्लंघन से संबंधित हो तथा उन आरोपों में जिसमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप हो, में अनुसंधान करना इस संस्थान का दायित्व है। संवैधानिक लोकपाल का विचार प्रथमतः वर्ष 1960 के दशक के प्रारंभ में कानून मंत्री अशोक सैन के द्वारा संसद में रखा गया। 5 जनवरी 1966 को मोरार जी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। जिसमें 'प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटिजन्स ग्रीवन्सेज' से संबंधित अंतरिम प्रतिवेदन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता, प्रशासनिक संवेदन शून्यता पर विचार कर यह अनुशंसा की गई कि जन अभियोग निवारण तथा केन्द्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जाए। अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन को भारतीय जन संचार माध्यमों ने व्यापक कवरेज दिया। अन्ना हजारे के नेत्त्व में 2011 में सिविल सोसायटी द्वारा चलाए गए जन लोकपाल आंदोलन के माध्यम से जनता की भ्रष्टाचार विरोधी भावना की परिणीति लोकपाल अधिनियम 2013 के प्ररिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण हुई। बहु प्रतिक्षित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद द्वारा 1 जनवरी 2014 में पारित किया गया जिसके उपबंध 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुए। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर कहा जा सकता है। जिसने कभी न समाप्त होने वाले स्मारक के खतरे का एक भारतीय समाधान प्रस्तुत किया। राजस्थान में जन अभियोग निराकरण विभाग पूर्व में विद्यमान था, लेकिन इसके द्वारा मंत्रियों, सचिवों, लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता की शिकायतों का अन्वेषण नहीं किया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी का सृजन करना समय की मांग थी। इसके लिए 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अध्यादेश पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ। जिसे 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली यह अधिनियम प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर है।

न्यायविद् डा. एल.एम. सिंघवी ने दिया था लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के लोक (लोगो) और पाला (संरक्षक) से बना है। लोकपाल या 'ऑम्बुड्समैन' नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अंतराष्ट्रीय सफलता प्राप्त की है। इसका श्रेय स्वीडन को जाता है जहां ऐसी संस्था की कल्पना कर उसे साकार स्वरूप प्रदान किया गया। वहां वर्ष 1713 में किंग चार्ल्स 12 ने कानून का उल्लंघनकर्ता अधिकारियों को दंडित करने के लिए अपने एक सभासद् को नियुक्त किया। वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में 'ऑम्बुड्समैन' फॉर जस्टिस संस्था का प्रथमतः प्रावधान किया गया, जो सरकारी अधिकारियों

द्वारा नियमों, विनियमों के प्रकरणों को देखेगा। फिनलैण्ड में 1919 में डेनमार्क में 1954 में,नार्वे में 1961 में तथा ब्रिटेन 1967 में इसी उद्देश्य से 'ऑम्बुड्समैन' की स्थापना अब तक 135 देशों के द्वारा की गई है। ब्रिटेन, डेनमार्क, न्यूजीलैण्ड में यह संस्था संसदीय आयुक्त तथा रूस में प्रोसीक्यूटर के नाम से जानी जाती है।

भारत में इस संस्था की उपादेयता पर न्यायविद् श्री गजेन्द्रगढ़कर ने अपनी पुस्तक लॉ लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस में कहा है कि जब तक हम भारत में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का प्रावधान नहीं करते और संवैधानिक संशोधन/विधायी प्रक्रिया से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते तब तक देश में भ्रष्टाचार रूपी समस्या का समूल विनाश नहीं हो सकेगा।

शोध का उद्देष्य

- प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के प्रयोज्य को समझाना।
- प्रशासन से जन अपेक्षाओं को संतोष प्रदान कराने में इनकी भूमिका।
- लोकपाल एवं लोकायुक्त के विस्तृत इतिहास एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु इसके प्रयासों की सार्थकता।
- स्वच्छ एवं कुशल लोकतंत्र के निर्माण में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का क्रियान्वयन प्रक्रिया को विश्लेषित करना।

जिससे इन संस्थाओं की उपादेयता को समझा जा सके साथ ही इन संस्थाओं की न्यूनताओं को उजागर कर इसे क्रमिक सुधार द्वारा जवाबदेही बनाया जा सके।

लोकपाल एवं लोकायुक्त

- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 संघ के लिए लोकपाल एवं राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है।
- ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे के वैधानिक निकाय है।
- यह संस्थान जन संरक्षक का कार्य करते है। कुछ सार्वजनक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों एवं संबंधित मामलों की जांच करते है।
- भ्रष्टाचार विरोधी अन्य निकायों यथा– केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय सर्तकता आयोग,प्रवर्तन निदेशालय, धन शोधन अधिनियम, फेमा 19993 की तुलना में लोकपाल को व्यापक शक्तियों का प्रावधान किया गया है।
- इसे भ्रष्टाचारियों से भ्रष्ट तरीके से अर्जित धन को जब्त करने का अधिकार है।

- यह एक बहुसदस्यीय निकाय है इसमें अधिकतम 1 अध्यक्ष एवं 8 अन्य सदस्य होते है।
- इन सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों एवं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रथम लोकपाल पिनाकीचन्द्र घोष को भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

- लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं।
- लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हों।
- संसद में कही गई किसी बात या दिये गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
- लोकपाल अधिनियम यह आदेशित करता है कि समस्त लोकसेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रस्तुत करें।
- इसके पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जाँच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है।
- यदि लोकपाल ने कोई मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जाँच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
- लोकपाल की जाँच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ दी गई हैं।
- विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा की गई हैं।
- लोकपाल को ऐसे लोकसेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।
- लोकपाल को प्राथमिक जाँच के दौरान रिकार्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है।

सीमाएँ

- पूर्णकालिक अध्यक्ष का मई 2022 से पद रिक्त है जिससे इसके प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चलाऊ व्यवस्था की गई है।
- भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने में निष्क्रियता स्पष्ट दिखाई दे रही है। अप्रेल 2023 में संसद में पेश की गई संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल ने ''आज तक भ्रष्टाचार के आरोपी एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया है।''

- लोकपाल कार्यालय द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के पैनल को उपलब्ध करवाई गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019–2020 के बाद से भ्रष्टाचार विरोधी निकाय को कुल 8703 शिकायतें मिली जिनमें से 5981 शिकायतों का निपटारा किया गया है।
- लोकपाल संस्था भारत की प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद जरूरी परिवर्तन बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें कुछ न्यूनताएँ और व्याधियाँ भी हैं जिनके समाधान की जरूरत है।
- संसद द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पाँच वर्ष बाद किसी तरह से लोकपाल की नियुक्ति हो पाई, जो राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी का द्योतक है।
- लोकपाल अधिनियम में राज्यों से भी इसके लागू होने के एक साल के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के लिये कहा गया है, परंतु केवल 16 राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना की।
- राजनीतिक दलों के सदस्यों से गठित नियुक्ति समिति के द्वारा लोकपाल के चयन की प्रक्रिया संचालित होती है।
- पारदर्शिता की कमी, विषय विशेषज्ञ, लोकपाल संस्थान की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के संबंध में आलोचना करते हुए कहते हैं कि लोकपाल की विश्वसनीयता व प्रभावशीलता में कमी आई है।
- लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से चालाकी की जा सकती है क्यों कि यह निर्धारित करने का कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि कौन एक 'प्रख्यात न्यायविद' या 'सत्यनिष्ठा का व्यक्ति' है।
- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 व्हिसल ब्लोअर को कोई ठोस सुरक्षा नहीं देता। यदि आरोपी व्यक्ति निर्दोष पाया जाए तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध जाँच शुरू करने का प्रावधान लोगों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा।
- इसकी सबसे बड़ी कमी न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना है।
- लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया है और लोकपाल के विरुद्ध अपील का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है।
- लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित विशिष्ट विवरण पूरी तरह से राज्यों पर निर्भर है।
- कुछ सीमा तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कार्यात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता को इसके निदेशक की नियुक्ति में इस अधिनियम में संशोधन करके पूरा किया गया है।
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत उस तिथि से सात साल के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती जिस तिथि को ऐसी शिकायत में कथित अपराध किये जाने का उल्लेख हो।

वर्तमान लोकपाल संस्था की स्थिति

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने मार्च, 2019 के मध्य में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले 23 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का चयन देश के पहले लोकपाल के लिये किया, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा चार न्यायिक और चार गैर–न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किये गए हैं। न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बी. भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हैं। इनके साथ एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन तथा महेन्द्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर–न्यायिक सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही देश में लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आ गई है। 27.05.2022 को पिनाकीचन्द्र घोष लोकपाल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद यह पद रिक्त चल रहा है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायविद श्री प्रदीप कुमार मोहन्ती वर्तमान में 28 मई 2022 से कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

सुझाव

- भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिये कार्यात्मक स्वायत्तता तथा जनशक्ति की उपलब्धता दोनों संदर्भों में ओम्बुड्समैन (लोकपाल) संस्थान को सशक्त किया जाए।
- नेतृत्व स्वयं को सार्वजनिक जाँच का विषय बनाने के लिये उत्साहित हो। तथा एक अच्छे नेतृत्व के साथ–साथ अधिक पारदर्शिता, सूचना के अधिकार तक अधिक पहुंच तथा नागरिकों और नागरिक समूहों को सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि वे सार्वजनिक हित के लिए संघर्षरत रहने को तत्पर रहें।
- स्वस्थ एवं कुशल प्रशासनिक प्रक्रिया के लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया स्वयं में पर्याप्त नहीं है। सरकार को उन मुद्दों को भी हल करना चाहिये जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग करते हैं। मात्र जाँच एजेंसियों की संख्या में बढ़ोतरी करना सरकार के आकार में तो वृद्धि करेगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इससे प्रशासनिक न्यूनताओं एवं व्याधियों का समाधान हो।
- न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन के सिद्धांत का शत प्रतिशत क्रियान्वयन हो।
- इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त उनसे वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी रूप से अवश्य स्वतंत्र होने चाहिये, जिनकी जाँच एवं जिन्हें दंडित करने के लिये उन्हें कहा जाता है।
- लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्तियाँ पारदर्शिता से होनी चाहिये ताकि गलत प्रकार के लोगों के पदस्थापित होने की संभावना को न्यून किया जा सके।

- किसी एक संस्था या प्राधिकारी में अत्यधिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की रोकथाम के लिए समुचित जवाबदेही व्यवस्था के साथ–साथ सत्ता के विकेंद्रीकृत संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है।

निष्कर्ष

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बाद भ्रष्टाचार के विरूद्ध स्वस्थ एवं कुशल लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए अधिनियम में व्याप्त व्याधियों और न्यूनताओं के निराकरण की ओर समग्र चिंतन की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार रूपी कोढ़ के निराकरण के लिए उपाय प्रासांगिक एवं उपयोगी होते हुए भी इसके क्रियान्वयन के लिए नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग एवं आमजन में व्यापक आम सहमति के साथ आत्मविश्वास एवं सतत् जागरूकता की परम आवश्यकता है।

सारांश में कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार विमुक्ति का प्रश्न इतना जटिल है कि मात्र वैधानिक प्रावधानों एवं राजनैतिक घोषणाओं की अपेक्षा सामाजिक, वैयक्तिक सोच व समझ को बदलने की समग्र समाज व्यवस्था, दीर्घकालीन प्रक्रिया एवं प्रयासों के द्वारा समाधान की ओर अग्रसर हो सकता है।

समाधान एक निरंतर चलायमान प्रक्रिया है। इस अधिनियम के व्यापक क्रियान्वयन के साथ साथ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के काफी प्रयास हुए, लेकिन इस दिशा में राजनैतिक अभिजन वर्ग में समस्या के प्रति गंभीर दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता का निरंतर अभाव दृष्टिगोचर होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. केजरीवाल अरविन्द, स्वराज : पावर टू द पीपल,स्वराज अभियान प्रकाशन, ए–119, प्रथम तल, कौशाम्बी, गाजियाबाद,उत्तरप्रदेश, 2012
2. पोहेकर, प्रीति दिलीप,ए स्टडी ऑफ औम्बुडसमैन सिस्टम इन इण्डिया विद स्पेशल रेफेरेन्स टु लोकायुक्त इन महाराष्ट्रा, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 2010
3. मोन्टेरियो, जॉन बी, क्रप्शन– इण्डियाज पेनफूल क्राउल टु लोकपाल, स्ट्रेटेजिक बुक पब्लिशिंग, 8 जनवरी 2013
4. The consituation of India retrieved from http://www.indiagov.in/my-government/ constitution - india/constitution-india-full-text
5. The lokpal & lokayukta Act 2013 retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/The lokapal and lokayukta Act 2013
6. Prevention of Corrouption Act 1947 (Bill No. of 1947)

7. BAsu D.D, Commentary on the constitution of India, Delhi, 1970

8. Dhawan R.K. Public Grievances and The Lokpal : A study of the Administrative Machinery for Redress of Public Grievances, new delhi 1981.

9. Hidayatullah M. Democracy in India and the Judicial process, Asia publishing House, New Delhi, 1966.

10. Saxena,D.R. Ombhdsman (Lokpal) : Redress of citizens Grievances, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1987.

11. 35 years of Lokayukta, Rajasthan (Lokayukta Sachivalaya Publication)

Articles

1. Bhatia, L.M., Central vigilance commission Its rile in administrative Vigilance, India Journal of Public Administration 17:1, 1971, 66-75.

2. Gajendragadkar, P.B. Role of Administration in a Democratic Welfare State Indian Journal of Public administration Vol. 9, no. 4,Delhi Oct-Dec 1963.

Journals & News Papers

1. India Today,New Delhi.

2. Political Science Review, Jaipur

3. Rajtantra Samiksha (Hindi), Jaipur

4. The india Journal of Political Studies, Jodhpur.

5. Danik Bhaskar, Sri Ganganagar, Jaipur

6. Jan Satta,New Delhi

7. Rajasthan Patrika, Sri Ganganagar, Jaipur